

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

(007) संगरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधान सभा का निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि श्री गुरदीप सिंह, वीपीओ – शाहपीनी तहसील– संगरिया जिला– हनुमानगढ़ (राजस्थान), भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : हनुमानगढ़

तारीख : 11 दिसम्बर, 2018



(कपिल कुमार यादव)

रिटर्निंग अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी एवं संचालन अधिकारी संगरिया)

(007) संगरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(एस.डी.एम.) संगरिया

Conduct of Elections Rules 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of
the People Act, 1951.

**Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from (007) Sangaria
Assembly constituency.**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of
the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules,
1961, I declare that- **SH. GURDEEP SINGH**, VPO- **SHAHPEENI
TEHSIL – SANGARIA DISTRICT – HANUMANGARH (RAJ.)** sponsored
by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in
that House from the above constituency.

Place: HANUMANGARH

Date : 11 December, 2018



(KAPIL KUMAR YADAV)

RETURNING OFFICER

(SUB-DIVISIONAL OFFICER & SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE SANGARIA)
007-Assembly Constituency Sangaria
(S.D.M.) Sangaria

(007) SANGARIA ASSEMBLY CONSTITUENCY